

संख्या-000/वी.जी.एल/18

भारत सरकार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवना, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 23.05.2000

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्तशासी संगठनों तथा सोसायटी इत्यादि के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

विषय: अन्वेषण तथा विभागीय जांच करने में समय सीमा की अनुसूची ।

महोदय,

अनुशासनात्मक मामलों के निष्पादन में विलंब आयोग के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है । ऐसे विलंब संदिग्ध/आरोपित कर्मचारियों तथा संगठन में अन्यो के मनोबल को भी प्रभावित करते हैं । आयोग ने दिनांक 03.03.1999 के अपने पत्राचार सं0 8(1)(छ)/99(3) द्वारा अनुदेश जारी किए हैं कि जांच अधिकारियों की नियुक्ति की तिथि से छ माह की अवधि के भीतर विभागीय जांच समाप्त हो जानी चाहिए । अन्वेषण/जांच के अन्य चरणों के संबंध में, निम्नलिखित समय-अनुसूची, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उद्यमों में सतर्कता प्रबंधन पर विशेष अध्यायों में निर्धारित की गई है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उद्यमों के कर्मचारियों पर लागू होती है । आयोग यह चाहता है कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सहकारिता समितियों द्वारा उनके कर्मचारियों के संबंध में भी इन समय सीमाओं का पालन करना चाहिए ताकि अनुशासनात्मक मामलों को शीघ्रता से निष्पादित करना सुनिश्चित हो सके ।

क्र.सं.	अन्वेषण अथवा जांच की स्थिति	समय सीमा
1	शिकायत में सतर्कता पहलू शामिल है अथवा नहीं इसका निर्णय करना ।	शिकायत की प्राप्ति से एक माह
2	शिकायत पर यह निर्णय लेना कि इसे फाईल किया जाना है अथवा के.अ.ब्यूरो. को सौंपा जाना है अथवा विभागीय एजेन्सी द्वारा अन्वेषण के लिए लिया जाना है अथवा आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाना है ।	-वही-
3	अन्वेषण करना तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना	तीन माह
4	उन मामलों में के.अ.ब्यूरो की रिपोर्ट पर विभाग की टिप्पणियां, जिनमें आयोग की सलाह लेना आवश्यक है ।	मु.स.अधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा के.अ.ब्यूरो की रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से एक माह ।

5	विभागीय अन्वेषण रिपोर्ट सलाह के लिए आयोग को भेजना ।	अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से एक माह ।
6	यदि आवश्यक है तो, आयोग की सलाह पर पुनर्विचार ।	आयोग की सलाह की प्राप्ति की तिथि से एक माह ।
7	यदि आवश्यक है तो आरोप-पत्र जारी करना ।	(i) आयोग की सलाह की प्राप्ति की तिथि से एक माह । (ii) अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से दो माह ।
8	रक्षा बयान प्रस्तुत करने के लिए समय ।	सामान्यतः दस दिन अथवा सी.डी.ए. नियमावली में उल्लिखित अनुसार ।
9	रक्षा बयान पर विचार ।	15 (पंद्रह) दिन ।
10	लघु शास्ति मामलों में अंतिम आदेश जारी करना ।	रक्षा बयान की प्राप्ति से दो माह ।
11	बड़ी शास्ति मामलों में जांच अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करना ।	रक्षा बयान की प्राप्ति तथा विचार करने के तुरन्त पश्चात् ।
12	विभागीय जांच संचालित करना तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।	जांच अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की तिथि से छः माह ।
13	जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति आरोपित अधिकारी को उनके अभ्यावेदन के लिए भेजना ।	i) जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, यदि आरोप का कोई भाग सिद्ध माना गया है; ii) 15 दिन, यदि सभी आरोपों को सिद्ध नहीं माना गया है । जांच अधिकारी के निष्कर्षों के साथ असहमति के कारणों की सूचना दी जाए ।
14	आरोपित अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार तथा जांच अधिकारी की रिपोर्ट द्वितीय चरण की सलाह के लिए आयोग को भेजना ।	अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से एक माह ।
15	जांच रिपोर्ट पर आदेश जारी करना ।	i) आयोग की सलाह की तिथि से एक माह । ii) जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से दो माह यदि आयोग की सलाह की आवश्यकता नहीं थी ।

भवदीय

ह0/-

(के.एल आहूजा)

विशेष कार्य अधिकारी